(7)

विक्रीत

(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

निगरानी-3364/2018/ग्वालियर/भू.रा.

1. श्रीमती इन्दु बाकलीवाल पत्नी श्री निर्भय बाकलीवाल, निवासी– डीडवाना ओली लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)
2. एम.आई. खान पुत्र श्री शहदत खान, निवासी– 76 विजया नगर, माधव नगर के पास झासी रोड ग्वालियर (म.प्र.)

--आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव अभि० द्वारा आज दि. 1-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
2. वन संरक्षक मण्डल, कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम के पास सिटी सेन्टर ग्वालियर

--अनावेदक

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15-08-18 के अनुसार संशोधन किया 30-8-18

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 01-06-2018

<u>न्यायालय कलेक्टर ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/2015-16/बी-121 में की जा रही कार्यवाही एवं पारित आदेश पारित दिनांक 21/08/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन अपील ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, भूमि सर्वे क्रमांक 94, मिन, 95, 96, 97, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 एवं 121 कुल रकबा 15.100 हे. स्थित ग्राम ओहदपुर जिला ग्वालियर संवत् 1997 से पूर्व स्वत्वधिकारी हीरालाल के स्वत्व की थी सवंत् 2008-09 से भोगीराम आदि के स्वत्व की रही। अर्थात राजस्व विभाग या वन विभाग के रूप में संवत् 1997 से कभी सरकारी भूमि नहीं रही है और ना है।

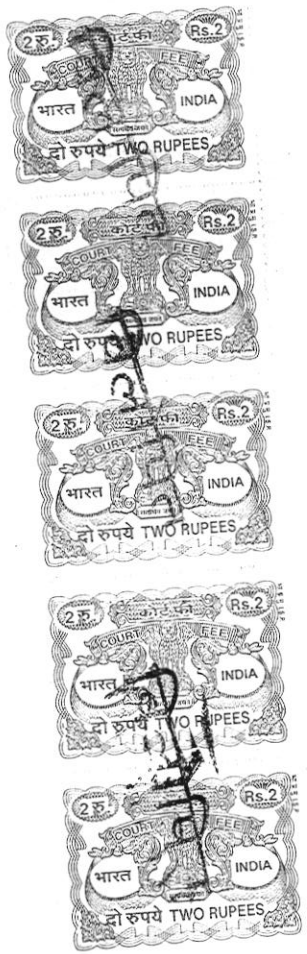
2 रु.
Rs.2
COURT FEE
भारत
INDIA
दो रुपये TWO RUPEES

(5)

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

(श्रीमती इंदु वाकलीवाल/शासन)

प्रकरण क्रमांक **निगरानी/3364/2018/ग्वालियर/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06-12-18	**शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री आर0डी0शर्मा उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	